HJU

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय
HARIDEV JOSHI UNIVERSITY OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION

विश्वविद्यालय में विभिन्न शैक्षणिक पदों पर आवेदन के लिए सामान्य निर्देश :

1. अभ्यर्थी भारतीय नागरिक हो।
2. प्रत्येक पद के लिए पृथक–पृथक आवेदन–पत्र भरा जाएगा एवं शुल्क भी प्रत्येक आवेदित पद के लिए अलग से देय होगा। शैक्षणिक पदों पर विभागवार आवेदन करना अनिवार्य होगा।
3. आवेदन पत्र का प्रारूप विश्वविद्यालय की वैबसाइट **hju.ac.in** से डाउनलोड किया जा सकता है। सभी आवेदन पत्र 02.01.2022 सायं 5.00 बजे तक समस्त महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों की समुचित पठनीय स्वप्रमाणित फोटोकॉपी सहित कुलसचिव कार्यालय, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, द्वितीय तल, राजीव गांधी विद्याभवन, सर्वेपल्ली राधाकृष्णन शिक्षासंकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर में जमा हो जाने चाहिए। हस्ताक्षरित आवेदन मय समस्त संलग्नकों के रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट या किसी भरोसेमन्द कूरियर से भेजें, ताकि घोषित समय सीमा के भीतर गन्तव्य पर पहुंच सकें। आवेदन जयपुर स्थित कुलसचिव कार्यालय में व्यक्तिशः भी प्रस्तुत किए जा सकते है। तय समय–सीमा में आवेदन और समस्त संलग्नकों की प्रतियां कुलसचिव के ई–मेल पते **registrar@hju.ac.in** पर भी भेजनी होंगी। परन्तु ख्याल रहे कि सम्पूर्ण आवेदन की हॉर्ड कॉपी गन्तव्य पर निर्धारित समय में पहुंचना अनिवार्य है।

4. हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 की धारा 32 के अनुसार विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यापक एवं अधिकारी की नियुक्ति के लिए चयन अधिनियम 1974 के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।
5. छँटाई (short-listing) हेतु मापदण्ड एवं प्रक्रिया का निर्धारण किये जाने तथा बिना कारण निर्दिष्ट किए विज्ञापित पद पर भर्ती नहीं करने का अधिकार विश्वविद्यालय में निहित होगा।
6. पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी का अधिकार विश्वविद्यालय के पास अन्तिम समय तक सुरक्षित रहेगा।
7. इस विज्ञप्ति के प्रसारण एवं चयन प्रक्रिया के समापन तक रिक्तियों में विधिक तौर पर कोई अन्तर आने की स्थिति में रिक्त पदों की गणना चयन प्रक्रिया के समापन के समय की जाएगी। समस्त मामलों में न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर शहर होगा।
8. **आवेदन शुल्क :**
   - आवेदक को निम्नानुसार आवेदन शुल्क की अदायगी आवेदन–पत्र के साथ निर्धारित राशि जयपुर पेबल पे–ऑर्डर अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से करनी होगी। आवेदन शुल्क कुलसचिव, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर के नाम देय होगा। शुल्क अन्य किसी माध्यम से जमा नहीं होगा।

क्र.सं.	संवर्ग	आवेदन शुल्क (रुपये)
1	सामान्य संवर्ग एवं क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग तथा विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी	1000/–
2	पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर)/ विशेष पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर)/आर्थिक रूप से पिछडा संवर्ग के अभ्यर्थी	500/–
3	समस्त विशेष योग्यजन/राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी	250/–

नोटः–

- राजस्थान राज्य से अन्य भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग आवेदक माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क देना होगा अन्यथा आवेदन निरस्त माना जावेगा।
- आवेदन शुल्क वापसीः– आवेदन शुल्क की वापसी से संबंधित किसी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा और न ही आवेदन शुल्क किसी अन्य आवेदन हेतु आरक्षित किया जायेगा, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विज्ञापन ही निरस्त नहीं कर दिया जाता। विज्ञापन निरस्तीकरण की स्थिति में ही आवेदन शुल्क की वापसी अनुज्ञेय होगी।

9. राजस्थान राज्य से बाहर के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ विशेष पिछड़ा वर्ग और विशेष योग्यजन अभ्यर्थी राजस्थान विश्वविद्यालय की आरक्षण नीति के नियमों के अनुसार आरक्षण हेतु पात्र नहीं होंगे। अतः उन्हें अनारक्षित वर्ग के अन्तर्गत ही माना जाएगा।
10. चयन प्रक्रिया में हुई चूक अथवा त्रुटि के ज्ञात होने की स्थिति में, किसी भी स्तर (stage) पर, यहाँ तक कि नियुक्ति–पत्र जारी होने के पश्चात भी अभ्यर्थी को प्रदत्त/जारी किसी भी संचारण अथवा पत्र–व्यवहार को संशोधित, वापस लेने अथवा निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय में निहित होगा।
11. किसी भी प्रकार के डाक विलम्ब तथा साक्षात्कार के आयोजन एवं परिणाम एवं साक्षात्कार हेतु आमन्त्रित नहीं करने के कारणों के सम्बन्ध में किसी प्रकार के पत्र–व्यवहार पर विश्वविद्यालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। **इस भर्ती से सम्बन्धित आगामी सूचना/जानकारी हेतु आवेदक नियमित रूप से विश्वविद्यालय वेबसाइट का अवलोकन करें।**
12. उक्त पदों हेतु नियुक्तियां परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में होगी। प्रोफेसर एवं एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर परिवीक्षा अवधि एक वर्ष एवं असिस्टेंट प्रोफेसर तथा असिस्टेंट लाईब्रेरियन के पद पर परिवीक्षा अवधि दो वर्ष होगी। इस अवधि में उन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुरूप समेकित वेतन देय होगा।
13. राज्य सरकार के अतिरिक्त राज्य एवं राज्य के बाहर के शासन पोषित विश्वविद्यालय/स्वायत्तशाषी संस्था/पीएसयू में सेवारत कार्मिकों को नियमानुसार वेतन संरक्षण का लाभ देय होगा।
14. विश्वविद्यालय में स्वीकृत विभिन्न शैक्षणिक पदों के लिए आरक्षण के प्रावधान के संबंध में राज्य सरकार के पत्रांक प.18(2)शिक्षा–4/2014 पार्ट दिनांक 09.07.2021 के अनुसार एवं इस संबंध में समय–समय पर जारी अद्यतन निर्देश एवं प्रावधान अनुसार किया जाएगा।
15. सफलतापूर्वक परिवीक्षा प्रशिक्षु अवधि पूर्ण होने के उपरांत कार्मिक को नियमानुसार वेतन श्रृंखला का न्यूनतम वेतन देय होगा। वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु उक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि की गणना नहीं की जाएगी।
16. केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/विशेष योग्यजन के अभ्यर्थी आवेदन–पत्र के निर्धारित स्थान पर अपनी श्रेणी

इंगित करें एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति विषयक वैध प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रति हार्डकॉपी के साथ संलग्न करें। पिछड़ा वर्ग सम्बन्धी प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग में आरक्षण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा वृहत् प्रारूप में जारी किया गया जाति प्रमाणपत्र ही मान्य होगा।

17. आवेदन करने मात्र से आवेदक को संबंधित पद हेतु संवीक्षा परीक्षा अथवा साक्षात्कार हेतु आमंत्रित करने की पात्रता वाला नहीं माना जाएगा।
18. विश्वविद्यालय के नियमानुसार जीवित संतानों की संख्या की बाध्यता संबंधी नियम एवं राज्य सरकार में कार्मिकों के आचरण के संबंध में प्रवर्तित अन्य सभी नियम लागू होंगे।
19. अंशदायी पेंशन योग्यता योजना राजस्थान सरकार के नियमों के अनुरूप इस विश्वविद्यालय में भी उक्त नियुक्तियों पर लागू रहेगी।
20. राजस्थान विश्वविद्यालय / राज्य सरकार के समय–समय पर प्रचलित नियम एवं प्रावधान उक्त नियुक्तियों पर लागू होंगे।
21. अभ्यर्थी की आयु की गणना 01 जुलाई 2021 के अनुसार की जाएगी।
22. अभ्यर्थी फॉर्म में अपना वही मोबाईल नम्बर व ई–मेल आई.डी. अंकित करें जिस पर वह साक्षात्कार/परीक्षा (यथालागू) इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS & e-mail के माध्यम से चाहता है। अंकित मोबाईल नम्बर व ई–मेल आई.डी. बदलने/बन्द होने/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
23. यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो इसे अधिकारों का परित्याग मानते हुये आवेदन पत्र में उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी में आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन–पत्र विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
24. पूर्व से सेवा में नियोजित अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करेंगे।
25. विवाहित महिला अभ्यर्थी को आरक्षित श्रेणी का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी जाति (अजा/अजजा/पिछड़ा वर्ग) प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाणपत्र मान्य नहीं होगा।
26. सामान्य वर्ग के पदो के विरूद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के रूप में पात्र होना आवश्यक होगा।
27. आवेदन–पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अपूर्ण भरा हुआ पाये जाने पर या कटा–फटा होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन–पत्र रद्द कर दिया जावेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।